रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 171] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 22, 1975/ज्येष्ठ 1, 1897
No. 171] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 22, 1975/JYAISTHA 1, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(Office of the Controller of Capital Issues)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd May 1975

S.O. 222(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 6 of the Capital Issues (Control) Act, 1947 (29 of 1947), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Capital Issues (Exemption) Order, 1969, namely :—

1. (1) This Order may be called the Capital Issues (Exemption) (Amendment) Order, 1975.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Capital Issues (Exemption) Order, 1969,

(a) in clause 4, in sub-clause (iv), the following Explanation shall be inserted at the end, namely :—

"*Explanation.*—In this sub-clause, "debentures" include any debentures which are, at the option of the holders, convertible into equity capital of the issuing company by virtue of a condition contained in the issue of such debentures to any institution specified in the said sub-clause;"

(b) in clause 9, in sub-clause (iii), after the words "conversion rights", the words, brackets, letters and figure, "other than those mentioned in sub-section (iv) of clause 4", shall be inserted.

[No. F. 2(15)-CCI/72]

R. M. BHANDARI, Jt. Secy

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(पूंजी निर्गम नियंत्रक का कार्यालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 मई, 1975

का० आ० 222(अ).—पूंजी निर्गम (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का 29 वां) की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, पूंजी निर्गम (छूट) आदेश, 1969 को और संशोधित करने के लिये एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश देती है, अर्थात्:—

1. (1) इस आदेश को पूंजी निर्गम (छूट) (संशोधन) आदेश, 1975 कहा जायगा।

(2) यह सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू हो जायगा।

2. पूंजी निर्गम (छूट) आदेश, 1969 में,

(क) खंड 4 में, उपखंड (iv) के अन्त में निम्नलिखित स्पष्टीकरण जोड़ा जाय, अर्थात् :—

"स्पष्टीकरण : इस उपखंड में, "ऋण पत्र" में ऐसे कोई भी ऋणपत्र शामिल होंगे जो उसके धारक के विकल्प पर, उक्त उपखंड में निर्दिष्ट किसी संस्था को जारी किये गये ऋणपत्र में दी गई किसी शर्त के अनुसार ऋणपत्र जारी करने वाली कम्पनी की सामान्य पूंजी में रूप तरित किये जा सकते हों।"

(ख) खंड 9 में, उपखंड (iii) में, शब्दों "रूपान्तरण अधिकार" के पश्चात् शब्द, ब्रैकट, अक्षर और अंक "खण्ड 4 के उपखंड (iv) में वर्णित से भिन्न" जोड़े जायें।

[सं० एफ० 2(15)-सी० सी० आई० 72]

रणजीत मल भंडारी, संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975